न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
94/2023 प्रा.पत्र/2023	05.09.2023	01.12.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री त्रिलोक चन्द माहुर पुत्र श्री बिरदी चन्द माहुर निवासी वार्ड नं. 4 बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जायसवाल ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024 मोबाईल नं. 9928737671

2–मैसर्स जायसवाल ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

3–श्रीमति उषा जैन पत्नि श्री धर्मेन्द्र जैन निवासी रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

4–मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।

5–श्री राजेन्द्र प्रसाद डंगायच पुत्र श्री बैजनाथ डंगायच निवासी 1/483, विद्याधर नगर जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज जी–15 शुभम अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर जयपुर राज.। पिनकोड–302039

6–मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज जी–15 शुभम अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर जयपुर राज.

7–श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री एस. के. गुप्ता निवासी 55, दया नन्द विहार, करकरडूमा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली डायरेक्टर मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई दिल्ली। पिनकोड–110005/ग्राउण्ड फ्लोर सी–188, सेक्टर–108, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तप्रदेश। पिनकोड– 201301

8–मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई दिल्ली। पिनकोड–110005/ग्राउण्ड फ्लोर सी–188, सेक्टर–108, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तप्रदेश।पिनकोड–201301

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 01.12.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.01.2023 को समय 04:10 पीएम पर मैसर्स जायसवाल ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री त्रिलोक चन्द माहुर पुत्र श्री बिरदी चन्द माहुर मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री त्रिलोक चन्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

माहुर ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के कार्टून में लगभग 10–15 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री त्रिलोक चन्द माहुर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री त्रिलोक चन्द माहुर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 09 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** 1–1 लीटर के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3539 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3539 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री त्रिलोक चन्द माहुर पुत्र श्री बिरदी चन्द माहुर ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स के व्यवहारी ने मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज का एवं मैसर्स सावन एन्टरप्राईजेज ने मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई दिल्ली का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1806 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

/1037/एक्ट/2023/1101 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (रामसन्स ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0